PAREEKSHA BAAZ
Institute for CSE Examination

CURRENT AFFAIRS

28th NOV 2024

For more exam related videos and guidance, scan the code to join our YouTube Channel

For more exam related material, scan the code to join our Telegram Channel

Scan the code to join our Instagram Channel

INDEX	
SN.	**TOPIC**
1	**Constitution Day 2024**
2	**Design Law Treaty (DLT)**
3	**Role Women Members Played in the Constituent Assembly**
4	**India-Mediterranean Relations**

PAREEKSHA BAAZ
SAFALTA KE KHILADI

संविधान दिवस 2024

चर्चा में क्यों?

संविधान दिवस, 26 नवंबर 2024 को, भारत के प्रधानमंत्री ने भारतीय संविधान को अपनाए जाने के 75 वर्ष पूरे होने पर **भारत के सर्वोच्च न्यायालय** द्वारा आयोजित समारोह में भाग लिया। उन्होंने संविधान को सामाजिक-आर्थिक प्रगति और न्याय के लिए महत्वपूर्ण **जीवंत दस्तावेज बताया।**

- **इस अवसर पर 26/11 के मुंबई हमलों** के पीड़ितों को भी याद किया गया , तथा भारत की दृढ़ता को रेखांकित किया गया।

संविधान दिवस क्या है?

- **संविधान दिवस के बारे में:** 26 नवंबर **1949** को भारतीय संविधान को अपनाने की याद में संविधान दिवस मनाया जाता है। यह भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों का जश्न मनाता है और **न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देता है।**
  - 2015 में, **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने** नागरिकों के संविधान के साथ जुड़ाव को गहरा करने के लिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया। 2015 से पहले, 26 नवंबर को राष्ट्रीय **कानून दिवस** के रूप में मनाया जाता था ।
  - यह दिन संविधान का मसौदा तैयार करने में **संविधान सभा के दृष्टिकोण और प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉ. बी.आर. अंबेडकर की महत्वपूर्ण भूमिका का सम्मान करता है, जिसके कारण उन्हें "भारतीय संविधान के जनक" की** उपाधि मिली ।
- **संविधान दिवस 2024 की मुख्य विशेषताएं:**
  - **जम्मू और कश्मीर में संविधान दिवस समारोह: 2019 में अनुच्छेद 370** को निरस्त करने के बाद, 74 वर्षों में पहली बार जम्मू और कश्मीर ने **संविधान दिवस मनाया।**
    - यह आयोजन केंद्र शासित प्रदेश के भारत के कानूनी और राजनीतिक ढांचे के साथ संरेखण में एक नए अध्याय का प्रतीक है।
  - **हमारा संविधान, हमारा सम्मान:** श्रम और रोजगार मंत्री ने **"हमारा संविधान, हमारा सम्मान" अभियान में भाग लिया।**
    - 24 जनवरी 2024 को शुरू किए गए "हमारा संविधान, हमारा सम्मान" अभियान का उद्देश्य नागरिकों में संविधान और भारतीय समाज को आकार देने में इसकी भूमिका के बारे में समझ को गहरा करना है।
      - यह संवैधानिक जागरूकता, कानूनी अधिकारों और जिम्मेदारियों को बढ़ावा देने वाली एक वर्ष भर चलने वाली पहल है।
    - अभियान में क्षेत्रीय कार्यक्रमों, कार्यशालाओं और सेमिनारों के साथ-साथ ***सबको न्याय, हर घर न्याय* (सभी के लिए न्याय), *नव भारत, नव संकल्प* (नए भारत के लिए नया संकल्प),** और ***विधि जागृति अभियान* (कानूनी जागरूकता) जैसे उप-अभियान शामिल हैं।)** .
    - यह अभियान **2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है।**

- **भारत की संविधान सभा की महिलाएँ: भारत के राष्ट्रपति ने** संविधान सभा में 15 महिला सदस्यों के योगदान पर प्रकाश डाला, जिनमें **सरोजिनी नायडू** , **सुचेता कृपलानी** और **विजया लक्ष्मी पंडित शामिल हैं।**
  - **अम्मू स्वामीनाथन, एनी मैस्करीन, बेगम कुदसिया ऐज़ाज़ रसूल और दक्षिणायनी वेलायुधन** जैसे कम-ज्ञात सदस्यों को भी भारत के संविधान को आकार देने के लिए मान्यता दी गई थी।
  - **अम्मू स्वामीनाथन:** केरल से, विधवाओं पर सामाजिक प्रतिबंधों को देखने के बाद उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया। **हिंदू कोड बिल के माध्यम से लैंगिक समानता की वकालत की,** विधानसभा में पुरुष-प्रधान उपहास को सहन किया।
  - **एनी मास्कारेन (1902-1963):** उन्होंने जातिवादी विरोध के खिलाफ **सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के लिए अभियान चलाया।**
  - **बेगम कुदसिया ऐजाज़ रसूल (1909-2001):** मुस्लिम लीग की सदस्य, उन्होंने विभाजन पर जटिल विचारों के बावजूद **धर्म आधारित निर्वाचन का विरोध किया।**
  - **दक्षायनी वेलायुधन (1912-1978):** विज्ञान में स्नातक करने वाली पहली दलित महिला और कोचीन विधान परिषद में पहली दलित महिला। उन्होंने **दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र का** विरोध किया और राष्ट्रवाद पर जोर दिया।

भारतीय संविधान को एक "जीवित दस्तावेज" क्या बनाता है?

- **संशोधनीयता:** भारतीय **संविधान में बदलती जरूरतों और परिस्थितियों के अनुसार संशोधन किया जा सकता है** । यह लचीलापन इसे समय के साथ विकसित होने और इसके मूल सिद्धांतों को बनाए रखने की अनुमति देता है।
  - **संशोधन का प्रावधान: भाग XX में अनुच्छेद 368,** संसद को निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, किसी भी प्रावधान को जोड़ने, बदलने या निरस्त करने के द्वारा संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है।
    - संसद **संविधान के 'मूल ढांचे' में संशोधन नहीं कर सकती,** जैसा कि ***केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले, 1973*** में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था।
  - **संशोधन के प्रकार:** संविधान में संशोधन तीन अलग-अलग तरीकों से किया जा सकता है, **संसद के साधारण बहुमत से, संसद के विशेष बहुमत से, तथा कुछ संशोधनों के लिए विशेष बहुमत + राज्य का अनुसमर्थन।**
    - साधारण बहुमत श्रेणी के संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आते।
- **न्यायिक व्याख्या:** न्यायपालिका, विशेषकर सर्वोच्च न्यायालय, संविधान की व्याख्या करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
  - ऐतिहासिक निर्णय और विकसित व्याख्याएं यह सुनिश्चित करती हैं कि संविधान प्रासंगिक बना रहे और समकालीन मुद्दों के प्रति उत्तरदायी बना रहे।
  - न्यायालयों ने समकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रावधानों की व्याख्या की है, जैसे ***के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ, 2017*** **में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देना।**
- **संघीय संरचना:** भारतीय संविधान की संघीय संरचना केंद्र और राज्य सरकारों के बीच **शक्ति का संतुलन , क्षेत्रीय आवश्यकताओं और विविधता को संबोधित करती है।**

- **अनुच्छेद 246 सातवीं अनुसूची में तीन सूचियों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है: संघ, राज्य और समवर्ती।** केंद्र संघ सूची पर कानून बनाता है, राज्य राज्य सूची पर और दोनों समवर्ती सूची पर कानून बनाते हैं, संघर्ष की स्थिति में संघ के कानून लागू होते हैं।

- **संविधान की संकर संरचना:** कुछ प्रावधान कठोर हैं, जो **संघवाद** और **धर्मनिरपेक्षता** जैसे मौलिक मूल्यों की रक्षा करते हैं ।
  - अन्य प्रावधान, जैसे **राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत (डीपीएसपी),** समाज की कल्याण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लचीले अनुकूलन की अनुमति देते हैं।
- **सामाजिक परिवर्तन के प्रति उत्तरदायी:** भारत के संविधान में ऐसे प्रावधान हैं जो उसे सामाजिक परिवर्तनों के प्रति उत्तरदायी बनाते हैं, जैसे कि **हाशिए पर पड़े समुदायों की रक्षा करने और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए नए कानूनों को शामिल करना।**
  - उदाहरण के लिए, 2003 के **89 वें संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) को अनुच्छेद 338ए** के तहत एक संवैधानिक निकाय बना दिया , और **राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) को अनुच्छेद 338** के तहत एक अलग संवैधानिक निकाय बना दिया , जिससे **अधिक समावेशी समाज** बनाने में उनकी भूमिका बढ़ गई।

भारत के संविधान के बारे में मुख्य तथ्य क्या हैं?

- **संविधान सभा:** संविधान सभा को **संविधान का मसौदा तैयार करने में लगभग तीन साल (2 साल, 11 महीने, 17 दिन) लगे।** शुरू में, इसमें 389 सदस्य थे, जिनमें से 292 प्रांतीय विधान सभाओं से, 93 रियासतों से और 4 मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से चुने गए थे।
  - हालाँकि, **1947 में भारत के विभाजन** और पाकिस्तान के निर्माण के बाद **, पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा का गठन किया गया** , जिससे भारत की संविधान सभा की सदस्य संख्या घटकर **299 रह गयी।**

Important Committees of Constituent Assembly and Their Chairmen

S. No	Name of Committee	Chairman
1	Committee on the Rules of Procedure	Rajendra Prasad
2	Steering Committee	Rajendra Prasad
3	Finance and Staff Committee	Rajendra Prasad
4	Credential Committee	Alladi Krishnaswami Ayyar
5	House Committee	B. Pattabhi Sitaramayya
6	Order of Business Committee	K.M. Munsi
7	Ad hoc Committee on the National Flag	Rajendra Prasad
8	Committee on the Functions of the Constituent Assembly	G.V. Mavalankar

- **मूल संरचना (1949):** प्रारंभ में, इसमें एक **प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद (22 भागों में विभाजित)** और **8 अनुसूचियाँ शामिल थीं।**
  - **वर्तमान संरचना:** इसमें अब एक प्रस्तावना, 450 से अधिक अनुच्छेद (25 भागों में विभाजित) और 12 अनुसूचियाँ शामिल हैं।

- **संशोधन:** सितंबर 2024 तक, 1950 में पहली बार अधिनियमित होने के बाद से भारत के संविधान में **106 संशोधन हुए हैं।**
- **लंबाई:** भारत का संविधान दुनिया का **सबसे लंबा लिखित संविधान है।**
  - इसे **प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने हस्तलिखित सुलेख के माध्यम से लिखा था, तथा इसके पृष्ठों को नंदलाल बोस के मार्गदर्शन में शांतिनिकेतन** के कलाकारों द्वारा सजाया गया था ।
- **विस्तृत आकार का कारण:** भारत की विशालता और विविधता के कारण एक विस्तृत संवैधानिक दस्तावेज़ की आवश्यकता हो गई है।
  - **1935 के भारत सरकार अधिनियम ,** जो स्वयं एक व्यापक दस्तावेज था, के प्रभाव ने संविधान के आकार में योगदान दिया है।
  - भारत का एकल एकीकृत संविधान, जो **केन्द्र और राज्य दोनों सरकारों को नियंत्रित करता है, ने भी इसके आकार में वृद्धि की।**
  - कानूनी विशेषज्ञों के नेतृत्व में संविधान सभा ने एक ऐसा संविधान तैयार किया जो **कानूनी और प्रशासनिक दोनों ही पहलुओं** से सम्पूर्ण है , जिसमें मौलिक शासन सिद्धांतों के साथ-साथ विस्तृत प्रशासनिक प्रावधान भी शामिल हैं।
  - इसके अलावा, संविधान विभिन्न **वैश्विक स्रोतों से लिया गया है,** तथा इसके प्रावधान **अमेरिकी, आयरिश, ब्रिटिश, कनाडाई, ऑस्ट्रेलियाई, जर्मन** और अन्य संविधानों से प्रेरित हैं, जो इसके डिजाइन पर व्यापक अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव को दर्शाते हैं।

- **भारतीय संविधान की आलोचनाएँ:**

आलोचना	**असली रूप दिखाने**
उधार लिया गया संविधान	संविधान निर्माताओं ने उधार ली गई विशेषताओं को **भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप ढाला और संशोधित किया, तथा** उनकी त्रुटियों को दूर रखा।
भारत सरकार अधिनियम, 1935 की कार्बन कॉपी	हालांकि कई प्रावधान उधार लिए गए थे, लेकिन संविधान महज नकल नहीं है। इसमें **महत्वपूर्ण परिवर्तन** और परिवर्धन शामिल हैं।
अभारतीय या भारत विरोधी	विदेशी स्रोतों से उधार लिए जाने के बावजूद, संविधान **भारतीय मूल्यों और आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करता है ।**
अन-गांधीवादी	यद्यपि संविधान स्पष्ट रूप से गांधीवादी नहीं है, फिर भी यह **गांधीजी के कई सिद्धांतों से मेल खाता है, विशेषकर डी.पी.एस.पी. में।**

हाथी का आकार	भारत की विविधता और जटिलता को प्रबंधित करने के लिए संविधान की विस्तृत प्रकृति आवश्यक है।
वकीलों का स्वर्ग	**स्पष्टता और प्रवर्तनीयता** के लिए कानूनी भाषा आवश्यक है ।

डिज़ाइन कानून संधि (डीएलटी)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, भारत सहित **विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ)** के सदस्य देशों ने **सऊदी अरब के रियाद** में आयोजित डिजाइन कानून संधि को संपन्न करने और अपनाने के लिए राजनयिक सम्मेलन में **डिजाइन कानून संधि (डीएलटी) को** अपनाया ।

भारत की बौद्धिक संपदा की स्थिति

- **भारत की नवाचार रैंकिंग**: डब्ल्यूआईपीओ के **वैश्विक नवाचार सूचकांक (जीआईआई) 2024 में** भारत को जीआईआई 2024 में शामिल **133 अर्थव्यवस्थाओं में 39 वां स्थान दिया गया है।**
  - **मध्य और दक्षिणी एशिया की** 10 अर्थव्यवस्थाओं में भारत **प्रथम स्थान पर रहा।**
- **भारत की वैश्विक आईपी रैंकिंग**: भारत सभी तीन प्रमुख बौद्धिक संपदा अधिकारों - **पेटेंट** , **ट्रेडमार्क** और **औद्योगिक डिजाइन - के लिए वैश्विक शीर्ष 10** में स्थान पर है ।
  - 2023 में **64,480 पेटेंट आवेदनों** के साथ भारत **विश्व स्तर पर छठे स्थान पर होगा।**
  - भारत का ट्रेडमार्क कार्यालय **दुनिया भर में सक्रिय पंजीकरणों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या** रखता है , जिसमें **3.2 मिलियन से अधिक ट्रेडमार्क** प्रभावी हैं।
  - भारत के औद्योगिक डिजाइन अनुप्रयोगों में 2023 में **36.4% की वृद्धि होगी।**
- **आईपी गतिविधि में वृद्धि**: भारत का **पेटेंट- जीडीपी अनुपात पिछले दशक में 144** से बढ़कर 381 **हो** गया , जो आर्थिक विकास के अनुरूप आईपी गतिविधि के विस्तार को दर्शाता है।
  - पेटेंट-से-जीडीपी अनुपात पेटेंट गतिविधि के आर्थिक प्रभाव का एक माप है।

डिज़ाइन कानून संधि (डीएलटी) क्या है?

- **डीएलटी के बारे में:** डीएलटी को दुनिया भर में **औद्योगिक डिजाइनों की सुरक्षा को** सुव्यवस्थित और सुविधाजनक बनाने के लिए एक व्यापक ढांचे के रूप में प्रस्तावित किया गया है ।
- **उद्देश्य: इसका उद्देश्य एक पूर्वानुमानित और सुलभ प्रणाली** बनाना है जो अनावश्यक नौकरशाही बाधाओं को समाप्त कर दे और डिजाइनरों को अपनी बौद्धिक संपदा की सुरक्षा करने में अधिक आसानी प्रदान करे।
- **प्रमुख प्रावधान:**
  - **डिजाइन आवेदन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना:**
    - **स्पष्ट अनुप्रयोग आवश्यकताएँ**: सभी डिज़ाइन अनुप्रयोगों के लिए **एक समान, स्पष्ट दिशानिर्देश स्थापित करता है।**
    - **प्रतिनिधित्व में लचीलापन**: आवेदक औद्योगिक संपत्ति कार्यालयों के समक्ष **डिजाइन प्रस्तुत करने** के लिए विभिन्न प्रारूपों **(चित्र, फोटो, वीडियो) का उपयोग कर सकते हैं।**
      - **बहु उपयोग**: **एक आवेदन में एकाधिक डिजाइन की अनुमति देता है,** तथा मूल दाखिल तिथि को सुरक्षित रखता है, भले ही कुछ स्वीकार न किए जाएं।
  - **फाइलिंग प्रक्रिया में सुधार:**

- **दाखिल करने की तिथि की सरलता : आवेदक प्रारंभ में आवश्यक भागों को** जमा करके दाखिल करने की तिथि सुरक्षित कर सकते हैं , बाद में संपूर्ण आवेदन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
- **सार्वजनिक प्रकटीकरण के लिए अनुग्रह अवधि** : **छह या 12 महीने की अनुग्रह अवधि** दाखिल करने से पहले प्रकट किए गए डिजाइनों की नवीनता की रक्षा करती है।

○ **पंजीकरण के बाद की प्रक्रिया और सुरक्षा:**

- **प्रकाशन नियंत्रण** : आवेदक **आवेदन दाखिल करने के बाद छह महीने तक प्रकाशन को नियंत्रित कर सकते हैं,** जिससे गोपनीयता और प्रतिस्पर्धात्मक लाभ सुनिश्चित होता है।
- **समय सीमा चूक जाने पर राहत उपाय** : **समय सीमा चूक जाने वाले आवेदकों को राहत** प्रदान की जाएगी , जिससे उनके अधिकारों की हानि को रोका जा सकेगा।
- **अनुदान-पश्चात लेनदेन स्पष्ट होंगे** : पंजीकरण-पश्चात प्रक्रियाएं (जैसे, स्थानांतरण, लाइसेंसिंग) आसान प्रबंधन और प्रवर्तन के लिए स्पष्ट रूप से परिभाषित की जाएंगी।

○ **द्वि-स्तरीय संरचना:** संधि में **अनुच्छेद** (संधि के मुख्य प्रावधान) और **नियम** (कार्यान्वयन को नियंत्रित करने वाले विनियम) शामिल होंगे।

- **अनुबंधकारी पक्षों** की सभा डिजाइन कानून और प्रौद्योगिकी में **परिवर्तन के अनुकूल होने** के लिए नियमों में संशोधन कर सकती है ।

औद्योगिक डिजाइन क्या है?

- औद्योगिक डिजाइन एक **सजावटी प्रकृति** की **मौलिक रचना है** , जिसे जब **किसी उत्पाद में शामिल किया जाता है या उस पर लागू किया जाता है** , तो वह उसे **विशेष रूप प्रदान करता है।**
  - **ये विशेषताएँ इसके आकार, रेखाओं, रूपरेखा, विन्यास, रंग, बनावट या सामग्री** के कारण हो सकती हैं ।
  - एक डिज़ाइन **त्रि-आयामी** हो सकता है , जैसे किसी उत्पाद का आकार, या **द्वि-आयामी हो सकता है** , जैसे किसी विशिष्ट सतह पैटर्न में।
  - यह एक **बौद्धिक संपदा (आईपी)** है जो मानव मस्तिष्क की **अमूर्त रचनाएं हैं जिनका मूल्य है लेकिन वे भौतिक वस्तुएं नहीं हैं।**
- **अनुप्रयोग:** डिजाइनों को उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला पर लागू किया जाता है, जैसे **पैकेजिंग, फर्नीचर, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, चिकित्सा उपकरण, हस्तशिल्प वस्तुएं और आभूषण।**
- **महत्व:** डिजाइन **व्यावसायिक परिसंपत्तियां** हैं जो किसी उत्पाद के **बाजार मूल्य को** बढ़ा सकती हैं और प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्रदान कर सकती हैं।
  - उत्पादों को उपभोक्ताओं के लिए आकर्षक बनाकर, डिजाइन **उपभोक्ता की पसंद को प्रभावित करता है।**
- **संरक्षण: डिजाइनरों को उस देश के बौद्धिक संपदा (आईपी) कार्यालय** द्वारा निर्धारित फाइलिंग प्रक्रियाओं का पालन करना होगा जिसमें वे संरक्षण चाहते हैं।
  - डिजाइन अधिकार **प्रादेशिक होते हैं, अर्थात् किसी एक देश (या क्षेत्र)** में प्राप्त संरक्षण से उत्पन्न अधिकार उस देश (या क्षेत्र) तक ही सीमित होते हैं।

- भारत में औद्योगिक डिजाइनों का पंजीकरण और संरक्षण **डिजाइन अधिनियम, 2000 द्वारा प्रशासित किया जाता है।**

- **भारत में औद्योगिक डिजाइन: 2014-24** के बीच भारत में डिजाइन पंजीकरण **तीन गुना बढ़ गया है,** अकेले **पिछले दो वर्षों** में घरेलू पंजीकरण में **120% की वृद्धि हुई है।**
  - **उल्लेखनीय रूप से, 2023 में** डिज़ाइन अनुप्रयोगों में 25% की वृद्धि हुई ।

विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ)

- **डब्ल्यूआईपीओ के बारे में: डब्ल्यूआईपीओ संयुक्त राष्ट्र** की एक **विशेष एजेंसी** है जिसे **1967 में रचनात्मक गतिविधि को** प्रोत्साहित करने और दुनिया भर में **बौद्धिक संपदा** की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था।
- **भूमिका** : आईपी की सुरक्षा के लिए सेवाएं प्रदान करना, आईपी से संबंधित मुद्दों के लिए मंच प्रदान करना, तथा वैश्विक निर्णय लेने में मार्गदर्शन के लिए डेटा और सूचना प्रदान करना।
- **सदस्यता** : इसके **193 सदस्य देश** हैं । भारत 1975 में WIPO में शामिल हुआ।

डिज़ाइन अधिनियम, 2000 के अंतर्गत संरक्षण प्रावधान क्या हैं?

- **पात्रता:** यदि डिजाइन **सौंदर्यपरक प्रकृति के हैं और वस्तुओं पर लागू होते हैं तो** उन्हें संरक्षित किया जाता है ।
  - संरक्षण केवल वस्तु के दिखावट पर लागू होता है, **उसके कार्यात्मक पहलुओं पर नहीं।**
  - संरक्षण प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन को **डिज़ाइन रजिस्ट्री** में पंजीकृत होना चाहिए ।
- **सुरक्षा हेतु आवश्यकताएँ:**
  - **नवीनता और मौलिकता:** डिजाइन नया होना चाहिए और मौजूदा डिजाइनों से काफी अलग होना चाहिए।
  - **अप्रकटीकरण:** डिज़ाइन का भारत या विदेश में सार्वजनिक रूप से प्रकटीकरण नहीं किया जाना चाहिए।
  - **कार्यात्मक नहीं:** कार्यात्मकता से प्रेरित डिजाइन संरक्षित नहीं हैं।
  - **आपत्तिजनक नहीं:** डिज़ाइन सार्वजनिक नैतिकता, सुरक्षा या अखंडता के साथ संघर्ष नहीं करना चाहिए।
- **संरक्षण की अवधि: ट्रिप्स समझौते** के तहत संरक्षण कम से कम **10 वर्षों** तक रहता है, जिसे नवीकरण आवेदन के माध्यम से अतिरिक्त **5 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है।**
- **उल्लंघन और प्रवर्तन:** पंजीकृत डिज़ाइन स्वामी दूसरों को उनके डिज़ाइन की **नकल करने वाले** उत्पाद **बनाने, बेचने या आयात करने** से **रोक सकते हैं।**
- **संरक्षण से बाहर रखे गए डिजाइन:** कुछ वस्तुएं जैसे **टिकट, कैलेंडर, पुस्तकें, झंडे, और एकीकृत सर्किट के लेआउट डिजाइन को** औद्योगिक डिजाइन संरक्षण से बाहर रखा गया है।
  - डिज़ाइन में **कॉपीराइट अधिनियम, 1957** के तहत परिभाषित **ट्रेडमार्क , संपत्ति चिह्न या कोई कलात्मक अधिकार** शामिल **नहीं हो सकते ।**

औद्योगिक डिजाइन के निर्णय

- ***रितिका प्राइवेट लिमिटेड बनाम बीबा अपैरल्स प्राइवेट लिमिटेड मामला, 2016:*** रितिका, एक बुटीक परिधान डिजाइनर, ने दिल्ली उच्च न्यायालय में **बीबा पर कपड़ों के पुनरुत्पादन और बिक्री** के लिए मुकदमा दायर किया, **जिसमें**

रितिका के डिजाइनों की नकल की गई थी, जबकि ये डिजाइन **डिजाइन अधिनियम, 2000 के तहत पंजीकृत नहीं** थे

- अदालत ने फैसला सुनाया कि ये डिजाइन डिजाइन अधिनियम, 2000 के तहत **पंजीकृत नहीं थे, और इस प्रकार, कोई उल्लंघन नहीं** हुआ, जिससे दोहराव और नकल के खिलाफ सुरक्षा के लिए **डिजाइन पंजीकरण** के महत्व पर बल मिलता है ।

- ***क्रॉक्स इंक यूएसए बनाम बाटा इंडिया लिमिटेड और अन्य मामला, 2019:*** क्रॉक्स इंक यूएसए नेदिल्ली उच्च न्यायालय में विभिन्न भारतीय फुटवियर निर्माताओं के खिलाफ **डिजाइन उल्लंघन का मुकदमा दायर किया। कथित डिजाइन में छिद्रित और गैर-छिद्रित** जूता डिजाइन का उल्लेख किया गया था।
  - अदालत ने कहा कि क्रॉक्स इंक यूएसए **उल्लंघन या चोरी का आरोप नहीं लगा सकता,** क्योंकि कथित डिजाइन में **नवीनता और मौलिकता का अभाव है,** क्योंकि डिजाइन का विभिन्न माध्यमों में पूर्व प्रकाशन हो चुका है।

निष्कर्ष

डिज़ाइन **कानून संधि (डीएलटी) का** उद्देश्य **औद्योगिक डिज़ाइनों की वैश्विक सुरक्षा को सरल बनाना है, जिससे डिज़ाइनरों के लिए अपनी बौद्धिक संपदा की सुरक्षा करना** आसान और अधिक सुलभ हो सके । यह एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया सुनिश्चित करता है, जिसमें कई डिज़ाइन, अनुग्रह अवधि और पंजीकरण के बाद की स्पष्ट प्रक्रियाओं के प्रावधान हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय डिज़ाइन सुरक्षा में वृद्धि होती है।

संविधान सभा में महिला सदस्यों की भूमिका

प्रसंग

- संविधान दिवस (26 नवंबर) पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान सभा में महिला सदस्यों की भूमिका को याद किया।

बारे में

- 299 सदस्यीय विधानसभा में 15 महिला सदस्य थीं, जिनमें सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी और विजया लक्ष्मी पंडित जैसी प्रमुख हस्तियां शामिल थीं।
- लेकिन इसमें विविध पृष्ठभूमियों की अल्प-ज्ञात महिलाएं भी शामिल थीं, जिन्होंने लिंग, जाति और आरक्षण पर बहस में भाग लिया।

संविधान सभा में महिलाओं का योगदान

- **अम्मू स्वामीनाथन (1894-1978):** उन्होंने 1945 में मद्रास से कांग्रेस के टिकट पर केन्द्रीय विधान सभा का चुनाव लड़ा और फिर संविधान सभा की सदस्य बनीं।
    - अपनी मां के अनुभव को देखने के बाद उन्होंने विधवाओं पर लगाए गए प्रतिबंधों, जैसे सिर मुंडवाना और आभूषण त्यागना, का कड़ा विरोध किया।
- **एनी मास्कारेन (1902-1963):** उनका जन्म त्रिवेंद्रम (अब तिरुवनंतपुरम) में एक लैटिन ईसाई परिवार में हुआ था, जिसे जाति व्यवस्था के सबसे निचले पायदान पर माना जाता था। अपनी सामाजिक स्थिति के बावजूद, उन्होंने कानून की पढ़ाई की और अध्यापन किया।
    - उन्होंने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित सरकार के लिए सक्रिय रूप से अभियान चलाया।
- **बेगम कुदसिया ऐजाज़ रसूल (1909-2001):** मुस्लिम लीग का हिस्सा होने के बावजूद, वह धर्म के आधार पर अलग निर्वाचन क्षेत्र का विरोध करने वाली कुछ सदस्यों में से एक थीं। पाकिस्तान के विचार पर उनके विचार अधिक जटिल थे।
- **दक्षायनी वेलायुधन (1912-1978)** : वह कोचीन (अब कोच्चि) में विज्ञान में स्नातक करने वाली पहली दलित महिला थीं और कोचीन विधान परिषद में पहली दलित महिला थीं।
    - उन्होंने पृथक निर्वाचिका की आवश्यकता पर अम्बेडकर से असहमति जताते हुए कहा कि यह प्रावधान राष्ट्रवाद के विरुद्ध है।
- **रेणुका रे (1904-1997):** 1920 में गांधीजी से मुलाकात के बाद उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया और स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गईं, जहां वे जागरूकता फैलाने के लिए घर-घर गईं।
    - उन्होंने 1943 में केन्द्रीय विधान सभा में महिला संगठनों का प्रतिनिधित्व किया और फिर संविधान सभा की सदस्य बनीं।
- **राजकुमारी अमृत कौर:** स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री, वे संविधान सभा की सदस्य भी थीं।
    - वह सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा पर होने वाली चर्चाओं में गहराई से शामिल थीं, जिसमें महिलाओं के स्वास्थ्य और सामाजिक मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया जाता था।
- **कमला देवी:** एक प्रसिद्ध समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी, उन्होंने भी संविधान सभा में भाग लिया था।
    - वह महिला अधिकारों की समर्थक थीं, विशेषकर शिक्षा, सामाजिक सुधार और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में।

- **मुथुलक्ष्मी रेड्डी:** उन्होंने विवाह और तलाक से संबंधित कानूनी सुधारों सहित महिलाओं के अधिकारों से संबंधित मुद्दों पर काम किया।

संविधान सभा में महिलाओं की भागीदारी का महत्व

- संविधान सभा में महिलाओं को शामिल करने से लोकतांत्रिक प्रक्रिया और राष्ट्र निर्माण में महिलाओं को समान भागीदार के रूप में मान्यता मिलने का संकेत मिला।
- उन्होंने महिला अधिकारों और सामाजिक न्याय की वकालत की।
- संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 42 के माध्यम से लैंगिक समानता को शामिल करने की वकालत की।
- हिंदू कोड बिल, जिसमें विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और संपत्ति में महिलाओं को समान अधिकार प्रदान करने की बात कही गई थी, महिला नेताओं द्वारा की जा रही चर्चाओं और सक्रियता से प्रभावित था।

भारत-भूमध्यसागर संबंध

प्रसंग

- **रोम में एमईडी भूमध्यसागरीय वार्ता के 10वें संस्करण** में एक महत्वपूर्ण संबोधन में विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भारत और भूमध्यसागरीय क्षेत्र के बीच संबंधों को मजबूत करने के पारस्परिक लाभों पर जोर दिया।

भूमध्य सागरीय क्षेत्र के बारे में

- इसमें **दक्षिणी यूरोप** *(स्पेन, फ्रांस, मोनाको, इटली, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया और हर्जेगोविना, मोंटेनेग्रो, अल्बानिया, ग्रीस, माल्टा और साइप्रस),* **उत्तरी अफ्रीका** *(मिस्र, लीबिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया और मोरक्को)* **और पश्चिम एशिया के कुछ हिस्से** *(तुर्की, सीरिया, लेबनान, इजरायल और फिलिस्तीन)* शामिल हैं ।

- यह विशाल क्षेत्र, जो ऐतिहासिक रूप से वैश्विक वाणिज्य, संस्कृति और राजनीति का केंद्र रहा है, ने विभिन्न क्षेत्रों में भारत के साथ गहन संबंध स्थापित किए हैं।

भारत-भूमध्यसागर संबंध

- **ऐतिहासिक संबंध और सांस्कृतिक आदान-प्रदान:** ऐतिहासिक अभिलेखों से रोमन साम्राज्य और यूनानियों के साथ मजबूत व्यापारिक संबंधों का संकेत मिलता है। **भारत के मालाबार तट पर मुजिरिस का प्राचीन बंदरगाह शहर** एक हलचल भरा व्यापारिक केंद्र था जहाँ मसालों, विदेशी जानवरों और सोने का आदान-प्रदान होता था।
    - इस ऐतिहासिक संबंध ने समृद्ध सांस्कृतिक आदान-प्रदान की नींव रखी जो द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित करता रहा है।
- **सामरिक और भू-राजनीतिक महत्व:** भूमध्य सागर की रणनीतिक स्थिति इसे भारत के भू-राजनीतिक हितों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बनाती है। यह क्षेत्र **एशिया, अफ्रीका और यूरोप को जोड़ने वाले पुल** के रूप में कार्य करता है , जिससे इन महाद्वीपों के बीच भारत की कनेक्टिविटी बढ़ती है।
    - यह संपर्क **भारत की हिंद-प्रशांत नीति के लिए महत्वपूर्ण है,** जिसका उद्देश्य एक स्वतंत्र, खुला और समावेशी हिंद-प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करना है।

- **राजनीतिक और रक्षा सहयोग:** भूमध्यसागरीय देशों के साथ भारत के राजनीतिक संबंध मजबूत हैं, तथा **संयुक्त अभ्यासों और आदान-प्रदानों के माध्यम से रक्षा सहयोग भी बढ़ रहा है।**
    - इस क्षेत्र का सामरिक महत्व I2U2 समूह में भारत की भागीदारी से रेखांकित होता है **,** जिसमें **भारत, इजरायल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका शामिल हैं, जो** आर्थिक और सुरक्षा सहयोग पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
    - **भारत और इटली** समझौतों और संयुक्त उद्यमों के माध्यम से अपने रक्षा संबंधों को बढ़ा रहे हैं जिसमें समुद्री क्षेत्र जागरूकता, सूचना साझाकरण और रक्षा उत्पादन सहयोग शामिल हैं।
- **आर्थिक एवं व्यापारिक संबंध:** भूमध्यसागरीय देशों के साथ भारत का व्यापार काफी बढ़ गया है, जो **प्रतिवर्ष लगभग 80 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है।**
    - इस व्यापार को आगे बढ़ाने वाले प्रमुख क्षेत्रों में उर्वरक, ऊर्जा, जल प्रौद्योगिकी, हीरे, रक्षा और साइबर क्षमताएं शामिल हैं।
    - भारतीय कंपनियां पूरे क्षेत्र में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं जैसे हवाई अड्डों, बंदरगाहों, रेलवे और हरित हाइड्रोजन पहल में सक्रिय रूप से शामिल हैं।
- **कनेक्टिविटी:** भारत-भूमध्यसागर संबंधों में एक प्रमुख विकास **भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (आईएमईसी)** है , जिसे 2023 में घोषित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य भारत, मध्य पूर्व और यूरोप के बीच कनेक्टिविटी और एकीकरण को बढ़ाना है, जिसमें यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन, इजरायल और यूरोपीय संघ जैसे देश शामिल होंगे।
- **सांस्कृतिक और प्रवासी संबंध:** भूमध्यसागरीय क्षेत्र में बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी रहते हैं, जहां लगभग 460,000 भारतीय रहते हैं, जिनमें से 40% इटली में हैं।
    - यह प्रवासी समुदाय भारत और भूमध्यसागरीय देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने और आपसी समझ को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

भूमध्य सागर क्षेत्र में भारत के प्रभाव से संबंधित प्रमुख चिंताएँ

- **भू-राजनीतिक स्थिरता:** भूमध्यसागरीय क्षेत्र, विशेष रूप से पश्चिम एशिया में, अक्सर राजनीतिक अस्थिरता और संघर्ष की विशेषता होती है।
    - इजराइल-फिलिस्तीन मुद्दा तथा सीरिया और लीबिया में तनाव जैसे मौजूदा संघर्ष भारत के कूटनीतिक प्रयासों के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश कर रहे हैं।
    - **IMEC की सफलता** क्षेत्रीय **संघर्षों पर काबू पाने** और भाग लेने वाले देशों के बीच निर्बाध सहयोग सुनिश्चित करने पर निर्भर करती है
- **ऊर्जा सुरक्षा:** भूमध्य सागरीय क्षेत्र भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, जहां **मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका से तेल और गैस का महत्वपूर्ण आयात होता है।**
    - क्षेत्रीय अस्थिरता के बीच स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करना एक प्रमुख चिंता का विषय है।
    - इसके अतिरिक्त, हरित हाइड्रोजन पहल जैसी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में भारत की रुचि के लिए मजबूत साझेदारी और निवेश की आवश्यकता है।

- **क्षेत्रीय संघर्ष और सुरक्षा:** यह क्षेत्र समुद्री डकैती, अवैध समुद्री गतिविधियों और **गाजा और लेबनान** जैसे क्षेत्रों में संघर्षों से लगातार खतरों का सामना कर रहा है । इन मुद्दों पर नौवहन की स्वतंत्रता और क्षेत्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता है।
    - **पश्चिम एशिया में युद्ध विराम के लिए भारत का आह्वान** तथा इजराइल-फिलिस्तीन संघर्ष में द्वि-राज्य समाधान के लिए समर्थन, क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
    - इसके अतिरिक्त, इजरायल और ईरान दोनों के साथ भारत की भागीदारी क्षेत्रीय कूटनीति के प्रति उसके संतुलित दृष्टिकोण को उजागर करती है।

निष्कर्ष और वे फारवर्ड

- भूमध्यसागरीय क्षेत्र में भारत का प्रभाव बहुआयामी है, जिसमें आर्थिक, सामरिक और सांस्कृतिक आयाम शामिल हैं।
- भू-राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक एकीकरण, ऊर्जा सुरक्षा, प्रवासी कल्याण, बुनियादी ढांचे के विकास और क्षेत्रीय संघर्षों की प्रमुख चिंताओं का समाधान करना इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में भारत की भूमिका को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है।
- आईएमईसी और सक्रिय कूटनीति जैसी पहलों के माध्यम से भारत अपनी भागीदारी बढ़ा सकता है तथा भूमध्यसागरीय क्षेत्र की स्थिरता और समृद्धि में योगदान दे सकता है।